

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या- 67/सीपी 1064/84-2-2014-सीपी 2/2014

लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के, जिसे जिले का जिला फोरम के नाम से जाना जायेगा, अध्यक्ष, जैसा कि स्तम्भ-5 में उल्लिखित है, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित जिला फोरम के गठन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचनार्थ तद् नुसार उपान्तरित हो जाएंगी :-

अनुसूची

क्र० सं०	जिला फोरम का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्ति व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	आगरा प्रथम	श्री उमेश चन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व० श्री आर०सी० पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश(सेवानिवृत्त), ग्राम भिलोरा, पोस्ट नौसड, जिला- गोरखपुर।	01.07.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
2	मथुरा	श्री राधेश्याम सिंह पुत्र स्व० श्री ब्रजनाथ सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), एस 9/472, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, वाराणसी-221002	10.07.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
3	मऊ	श्री जनार्दन सिंह पुत्र स्व० श्री राजदेव सिंह, अपर जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), 11/26ए, शशिपुरम कालोनी, शिवरामदास, गुलाटी मार्ग, इलाहाबाद।	05.08.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)


4	बदायूं	श्री शिव करन पुत्र श्री रजउवा, 30प्र0 हायर जूडीशियल सर्विस (सेवानिवृत्त), आराजी संख्या-010 मौजा साहा उर्फ पीपल गांव, (विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल एवं कालेज के पास, आहूजा सेनेट्री के सामने), कौशाम्बी रोड, झलवा, इलाहाबाद।	31.08.1953	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
5	फैजाबाद	श्री चन्द्र पाल पुत्र स्व0 श्री राज पाल, अपर जिला जज (सेवानिवृत्त), म0नं0 544/1026, एकता नगर, कैम्पवेल नगर रोड, लखनऊ।	01.01.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
6	सुल्तानपुर	श्री वृजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री सालिग राम सोनी, जिला जज (सेवानिवृत्त), 7, न्याय विहार कालोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ- 226013	02.07.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
7	जालौन	श्री राकेश कुमार -II पुत्र श्री राम बहादुर सक्सेना, जिला जज (सेवानिवृत्त), 11-ए/15, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ- 226002	05.09.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
8	कानपुर नगर	श्री राज नारायन सिंह पुत्र स्व0 श्री फतेह बहादुर सिंह, अपर जिला जज (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त), एचआईजी 85, ई ब्लॉक, श्याम नगर, कानपुर, कानपुर नगर।	25.12.1955	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
9	फर्रुखाबाद	श्री शिव प्रसाद पुत्र स्व0 श्री राम अवतार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), ग्राम मवई, पोस्ट ममसी खुर्द, थाना कमासिन, तहसील बबेरु, बांदा।	28.08.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

10	लखीमपुर	श्री विन्ध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्री हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव, जिला जज (सेवानिवृत्त), मकान नं० 20/260/7, इन्दिरानगर, लखनऊ।	01.07.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)
11	मुरादाबाद प्रथम	श्री रूप किशोर गुप्ता पुत्र स्व० श्री यू०एस० गुप्ता, जिला जज (सेवानिवृत्त), द्वारा स्व० जयशंकर गुप्ता, एडवोकेट, बरिया घाट, वासलीगंज, मीरजापुर।	25.06.1954	अध्यक्ष (पूर्णकालिक)

आज्ञा से,
बी० एम० मीना
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 67/सीपी 1064(1)/84-2-2014-सीपी 2/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें। (संलग्नक-यथोक्त।)

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।


पृष्ठांकन संख्या 67/सीपी 1064(2)/84-2-2014-सीपी 2/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले-विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
- (2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (4) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र०, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
- (5) निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ, 30प्र०।
- (6) जिलाधिकारी आगरा, मथुरा, मऊ, बदायूं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जालौन, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, मुरादाबाद।

- (7) जनपदीय कोषाधिकारी आगरा, मथुरा, मऊ, बदायूं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जालौन, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, मुरादाबाद ।
- (8) निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, ३०प्र०।
- (9) निजी सचिव, मा० मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, ३०प्र०।
- (10) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- (11) सम्बन्धित व्यक्ति को इस निर्देश के साथ कि कृपया पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिवसों के अंदर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ३०प्र०, सी-१, विक्रान्तखण्ड-१, गोमती नगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करने का कष्ट करें (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।
- (12) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (आगरा प्रथम, मथुरा, मऊ, बदायूं, फैजाबाद, सुल्तानपुर, जालौन, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, मुरादाबाद प्रथम) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।
- (13) मीडिया प्रभारी, मुख्य सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), ३०प्र० शासन।
- (14) गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव।



उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2

संख्या-68/सीपी 1034/84-2-2014-सीपी 2/2014

लखनऊ : दिनांक : 19 नवम्बर, 2014

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68 सन् 1986) की धारा-10 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल उक्त धारा की उपधारा (1-क) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्तियों को उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के, जिसे जिले का जिला फोरम के नाम से जाना जायेगा, सामान्य सदस्य या महिला सदस्य, जैसा कि स्तम्भ-5 में उल्लिखित है, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी पूर्ववर्ती हो, तक के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अनुसूची में सम्मिलित जिला फोरम के गठन के सम्बन्ध में पूर्ववर्ती अधिसूचनार्यें तद्-नुसार उपान्तरित हो जाएंगी।

2. निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उOप्रO, लखनऊ द्वारा नियुक्त व्यक्तियों को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व विज्ञापन में अपेक्षित अर्हताओं से सम्बन्धित अभिलेख तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन के वांछना की संवीक्षा की पूर्ति अवश्य करा ली जाय।

अनुसूची

क्रO संO	जिला फोरम का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और पता	नियुक्ति व्यक्ति की जन्म तिथि	पद का नाम
1	2	3	4	5
1	अलीगढ़	श्री नुसरत उल्लाह खान पुत्र श्री सलामत उल्लाह खान, मोOमुस्लिम चौधरियान (पिरका बाजार), पोस्ट स्योहारा, तहसील धामपुर, बिजनौर।	07.07.1957	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
2	मथुरा	श्री राम बाबू केवट पुत्र स्वO श्री लच्छी राम (पुनर्नियुक्ति), 332, राजेन्द्र नगर, बम्बी रोड, उरई (जालौन)।	11.05.1966	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
3	मऊ	श्री राम चन्द्र यादव पुत्र श्री जितेन्द्र यादव, मुहल्ला-सुर्फदीनपुर (चाणक्य सिनेमा हाल के सामने), पोस्ट-सदर, थाना सिधारी, आजमगढ़-276001	30.11.1969	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)

4	बरेली द्वितीय	श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह, ग्राम जोगीपुरा, पोस्ट-दिलारी, मुरादाबाद।	05.09.1972	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
5	बस्ती	श्री महादेव प्रसाद दुबे पुत्र श्री पारस नाथ, ग्राम व पोस्ट दुबौली दुबे, बस्ती।	28.02.1973	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
6	लखनऊ प्रथम	श्री राजर्षि शुक्ला पुत्र श्री एच०एस० शुक्ला (पुनर्नियुक्ति), बी 403, सी-81, सी०एस०आई० टावर, विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010	28.08.1973	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
7	मेरठ	श्री जमाल अख्तर पुत्र श्री इस्लामुद्दीन (पुनर्नियुक्ति), डी-4, आफिसर्स हास्टल, बागपत।	02.10.1971	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
8	बुलंदशहर	श्री मोहम्मद नदीम पुत्र श्री मुख्तार अली, मोहल्ला चौधरी सराय, सम्भल।	01.07.1972	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
9	मुरादाबाद द्वितीय	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव पत्नी श्री सी०बी० श्रीवास्तव, म०नं० बी-16, अविन्तका कालोनी, पानी की टंकी के सामने, एल०डी०ए० कालोनी, मुरादाबाद।	15.01.1959	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
10	जौनपुर	श्री विजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता, मोहन साइकिल की बगल गली, पेहटी का चौराहा, मीरजापुर।	02.08.1953	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
11	कन्नौज	श्री आलोक कुमार पुत्र श्री ललियान सिंह, ग्राम राजापुर, पोस्ट सौरिख, कन्नौज।	15.08.1970	सामान्य सदस्य (पूर्णकालिक)
12	आगरा प्रथम	सुश्री अंशुल गोयल पुत्री श्री चन्द्रभान गुप्ता, एफ 28, कमला नगर, आगरा।	05.09.1974	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
13	बांदा	श्रीमती शानिया खान पत्नी श्री रईस अहमद खान, कुमार लाज के सामने, स्टेशन रोड, बांदा।	03.08.1956	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)

14	मिर्जापुर	श्रीमती पुतुल यादव पुत्री श्री सतीश चन्द्र यादव (पुनर्नियुक्ति), एस-26/19, चाणक्य विद्या मंदिर, पोस्ट कैंट, वाराणसी।	22.10.1957	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
15	गौतमबुद्ध नगर	श्रीमती विमलेश यादव पत्नी श्री राष्ट्र दीप यादव, ग्राम शाहपुर, पोस्ट जखई, थाना नारावी, जिला फिरोजाबाद।	15.06.1979	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
16	कन्नौज	कु० शबीना जीनत पुत्री श्री जमाल अहमद खान, 110, जामा मस्जिद, मीरा टोला, कन्नौज।	02.02.1974	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)
17	संतकबीर नगर	श्रीमती निर्मला यादव पत्नी श्री आर०एन० यादव, ग्राम अलीनगर, पोस्ट नाथनगर, संतकबीरनगर-272176	05.09.1977	महिला सदस्य (पूर्णकालिक)

आज्ञा से,

बी० एम० मीना
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 68/सीपी 1034(1)/84-2-2014-सीपी 2/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि - अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित, निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 68/सीपी 1034(2)/84-2-2014-सीपी 2/2014 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी की आयु शैक्षिक योग्यता, अनुभव एवं सम्बन्धित अभिलेखों को मूल प्रमाण-पत्रों से जांच लें तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित किये गये चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट अवश्य देख लें और इन सभी के सही होने की दशा में ही नियुक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण कराया जाय तथा उसकी सूचना शासन को भी प्रेषित की जाय। निबन्धक, राज्य आयोग कृपया नियुक्त अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी को फोरम में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति देने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र कि नियुक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं है, प्राप्त कर संतुष्ट होने की दशा में अनुमति देने का कष्ट करेंगे।

(4) जिलाधिकारी (अलीगढ़, मथुरा, मऊ, बरेली, बस्ती, लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, जौनपुर, आगरा, बांदा, मिर्जापुर, गौतमबुद्धनगर, कन्नौज, संतकबीरनगर)।

(5) जनपदीय कोषाधिकारी (अलीगढ़, मथुरा, मऊ, बरेली, बस्ती, लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद, जौनपुर, आगरा, बांदा, मिर्जापुर, गौतमबुद्धनगर, कन्नौज, संतकबीरनगर)।

(6) निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0।


(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, 30प्र0।

(8) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0, लखनऊ।

(9) सम्बन्धित अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि यह नियुक्ति इस शर्त के अधीन है कि चरित्र सत्यापन के उपरांत निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। चरित्र सत्यापन में यदि अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी को उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। निबन्धक, राज्य आयोग से कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी पत्र प्राप्त होने पर पन्द्रह दिवसों के अंदर आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि अभिलेखों के मूल प्रमाण-पत्रों तथा वर्तमान में किसी रोजगार अथवा व्यवसाय में लिप्त नहीं हैं, के शपथ - पत्र सहित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, 30प्र0, सी-1, विक्रान्तखण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा नियुक्ति निरस्त की जा सकती है (द्वारा रजिस्टर्ड डाक)।

- (10) सम्बन्धित जिला उपभोक्ता फोरम (अलीगढ, मथुरा, मऊ, बरेली, बस्ती, लखनऊ प्रथम, मेरठ, बुलंदशहर, मुरादाबाद द्वितीय, जौनपुर, आगरा प्रथम, बांदा, मिर्जापुर, गौतमबुद्धनगर, कन्नौज, संतकबीरनगर) द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग।
- (11) मीडिया प्रभारी, मुख्य सचिव/विशेष कार्याधिकारी (मीडिया), उपरो शासन।
- (12) गार्ड बुक।

आज्ञा से,



(हरिश्चन्द्र)

अनु सचिव।

